भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1264

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

ओबीसी सूची में सम्मिलित करना

1264. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन समूहों/जातियों/समुदायों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 2014 में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने की मांग करते हुए सरकार अथवा एनसीबीसी से संपर्क किया है;

(ख) इन आवेदनों की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में समुदायों को शामिल करने संबंधी मांग को अस्वीकृत/स्वीकृत कर लिया गया है अथवा सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने सूचित किया है कि उसने मार्च, 2014 से नवंबर, 2024 तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 365 जातियों/समुदायों के समावेशन के प्रस्तावों पर विचार किया है और 147 संस्तुतियां की हैं।

(ख) और (ग): संसद विधि द्वारा जातियों/समुदायों का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में समावेशन या अपवर्जन कर सकती है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में जातियों और समुदायों का समावेशन एक सतत प्रक्रिया है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से नृवंशविज्ञान रिपोर्ट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करती है, जिसमें संबंधित जातियों/समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को उचित ठहराते हुए जन सुनवाई के परिणाम का विवरण दिया जाता है।